न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

करण संख्या :–100 / 2022 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
CMS NO :–2022 / 140
ायर दिनांक :–01.09.2022
र्णय दिनांक :–05.01.2023

अनवान

ाज्य सरकार जरिये श्री रमेश चन्द सैनी , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चेकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. **विक्रेता एवं फर्म मालिक** – श्री राकेश कुमावत पुत्र श्री बद्रीलाल कुमावत उम्र 24 वर्ष जाति कुमावत निवासी उपर का मौहल्ला, मोर्रा, सकरावास तह. रेलमगरा जिला राजसमंद मैसर्स खजूरिया श्याम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमंद
2. **विक्रेता एवं फर्म मालिक** – श्री ललित कुमार पुत्र श्री जीवनमल कोठारी मैसर्स चांदमल जीवनलाल कोठारी, उदयपुर–चित्तोडगढ़ रोड, फतहनगर तह. मावली जिला उदयपुर
3. **विक्रेता एवं फर्म मालिक** – श्री साहिल मिरानी पुत्र श्री श्याम मिरानी मैसर्स के. आर. कॉर्पोरेशन, 65 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर (राज
4. निर्माता फर्म – मैसर्स वी आर एस फूड्स लिमिटेड यूनिट – 6, एबीसी–2, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश)–477116

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा क्रमशः 26(2) (ii), 51 & 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 8.12.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर **मिसब्राण्डेड** खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि श्री राकेश कुमावत पुत्र श्री बद्रीलाल कुमावत उम्र 24 वर्ष जाति कुमावत निवासी उपर का मौहल्ला, मोर्रा, सकरावास तह. रेलमगरा जिला राजसमंद मैसर्स खजूरिया श्याम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमंद जो की किराणा के सामान बेचने का व्यवसाय करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स खजूरिया श्याम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमंद पर 16.10.2021 को 03.15 पी. एम. पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय–

P.T.O.

अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नहीं किया। वक्त निरीक्षण उक्त रेस्टोरेन्ट में घी (पारस) पैक्ड करीब 6–7 किलाग्राम 500–500 ग्राम के पैक आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ घी (पारस) पैक्ड मे से 500–500 ग्राम के 4 पैक घी (पारस) पैक्ड वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 800/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ घी (पारस) पैक्ड के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा घी (पारस) पैक्ड की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई (267 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद ने पत्र क्रमांक : मुचिअ/एफएसएसए/2021/4510 दिनांक 16.11. 2021 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस. /340/एक्ट/2021/393 दिनांक 30.10.2021 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार **AI 1267 खाद्य पदार्थ घी (पारस) पैक्ड** का नमूना **मिसब्राण्डेड** होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 22.08.2022 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा –

P.T.O.

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त घी (पारस) पैक्ड में किसी भी प्रकार की मिलावट नही कि जाती है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नही दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **घी (पारस) पैक्ड मिसब्राण्डेड** होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ **घी (पारस) पैक्ड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुंरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

अपराध कारित होने से विपक्षी संख्या 1. श्री राकेश कुमावत पुत्र श्री बद्रीलाल कुमावत उम्र 24 वर्ष जाति कुमावत निवासी उपर का मौहल्ला, मोर्रा, सकरावास तह. रेलमगरा जिला राजसमंद मैसर्स खजूरिया श्याम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमंद, 2. श्री ललित कुमार पुत्र श्री जीवनमल कोठारी मैसर्स चांदमल जीवनलाल कोठारी, उदयपुर–चित्तोडगढ़ रोड, फतहनगर तह. मावली जिला उदयपुर, 3. श्री साहिल मिरानी पुत्र श्री श्याम मिरानी मैसर्स के. आर. कॉर्पोरेशन, 65 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर 4. मैसर्स वी आर एस फूड्स लिमिटेड यूनिट – 6, एबीसी–2, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) पर कुल राशि 25,000/– रूपये (अक्षरे रूपया पच्चीस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।

05/01/23

(रामचरन शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द